न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:–539 / 2020(जीसीएमएस नं. 2020 / 00500)

1. मालीराम पुत्र श्री गोपाल जाति मिश्रा (ब्राहम्ण) आयु 66 वर्ष निवासी हस्तेड़ा, तहसील चौंमू जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौंमू राजस्थान।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत हस्तेडा, पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति:–

1. **श्री सुमेर सैनी, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**
3. **श्री श्यामसुन्दर खण्डेलवाल, एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से**

निर्णय

दिनांक: 11.12.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम हस्तेड़ा तहसील चौंमू जिला जयपुर में अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी पुराना खसरा नम्बर 380 एवं 378 स्थित है। पुराने खसरा नम्बर 380 के नये खसरा नम्बर 549, 550, 551, 552, 554 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6 हैक्टयर बने है तथा पुराना खसरा नम्बर 378 के नए खसरा नम्बर 548, 558, 560, 561, 544 / 1893 बने है। उन्होने कथन किया है कि साबिक खसरा नम्बर 380 की पश्चिमी सीमा पुराने नक्शें में उत्तर से दक्षिणं सीधी साबिक नक्शे के अनुसार थी, जिसके अनुसार अपीलान्ट मौके पर काबिज चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर पुराना 378 की उत्तरी तरफ की सीमा सीधी से थेडी घुमाव थी जिसके अनुसार अपीलान्ट मौके पर काबिज चला आ रहा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया हे कि दौराने सेटलमेन्ट पुराने खसरा नम्बर 380 की पश्चिमी सीमा को नए नक्शे में पुराने नक्शे के विपरित बना दी तथा पुराना खसरा नम्बर 378 की उत्तरी सीमा को सीधा कर नक्शे को छोटा बना दिया गया जबकि कानूनन पुराने नक्शे के अनुसार ही नया नक्शा बनाना चाहिये था परन्तु नया नक्शा पुरान नक्शे से छोटा बना दिया जो विधि विरूद्ध है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि हाल भूमि खसरा नम्बर 548 की दक्षिणी सीमा को दबाकर करीब 4 ऐयर भूमि तक नक्शा सकड़ा कर दिया तथा नया खसरा नम्बर 552 की पश्चिमी सीमा को दबाकर करीब 12 ऐयर जमीन तक नक्शा छोटा बना दिया जबकि अपीलान्ट पुराने नक्शे अनुसार काबिज चला आ रहा है तथा साबिक नक्शे से बनाया गया हाल नक्शा त्रुटिपूर्ण है। उन्होन आगे कथन किया है इस सम्बन्ध में समस्त तथ्यों से अवगत कराते हुए अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों व

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

साक्ष्य के विपरित प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अभिलेख का कतई परिशीलन नही किया है, जिसकी ताईद इस तथ्य से होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर निरस्त किया है कि मामलें में ग्राम पंचायत को पक्षकार नही बनाया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि मामलें में ग्राम पंचायत तो आवश्यक पक्षकार ही नही थी। ऐसी सूरत में ग्राम पंचायत को प्रकरण में पक्षकार नही बनाने के आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज नही किया जा सकता। उन्होने आगे कथन किया है कि पक्षकारों के संयोजन के सम्बन्ध में विकसित विधि यह है कि ऐसा पक्षकार जिसकी गैर मौजूदगी में चाहा गया अनुतोष यदि न्यायालय प्रदान करने में सक्षम नही हो तो यह आवश्यक पक्षकार है तथा ऐसे पक्षकार की मौजूदगी एवं गैर मौजूदगी न्यायालय को प्रकरण में चाहे गये अनुतोष के प्रदान करने से निवारित नही करता हो तो ऐसे पक्षकार की मौजूदगी एवं गैर मौजूदगी के प्रकरण पर कोई प्रभाव नही पड़ता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में ऐसा कोई भी अभिवचन नही किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में चाहे गये अनुतोष को ग्राम पंचायत की गैर मौजूदगी में चहा गया अनुतोष न्यायालय प्रदान करने में सक्षम नही है, ना ही यह विवेचित किया कि प्रकरण में ग्राम पंचायत की मौजूदगी क्यों आवश्यक है। ऐसी सूरत में यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार रिपोर्ट से यह स्पष्ट था कि साबिक भूमि खसरा नम्बर 380 एवं 378 के नक्शे एवं इनसे बने हाल खसरा नम्बर 549, 550, 551, 551, 554 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6 हैक्टयर, खसरा नम्बर 548, 558, 560, 561, 544/1893 के नक्शे में भिन्नता है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भ में गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नही है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2019 को अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम हस्तेड़ा में स्थित भूमि आराजीयात पुराने खसरा नम्बर 380 व 378 के पुराने नक्शाशीट अनुसार हाल बने नये नक्शे में नया खसरा नम्बर 552 की पश्चिमी सीमा को तथा नया खसरा नम्बर 548 की दक्षिणी सीमा को पुरान नक्शे के मुताबिक नही बनाकर नया नक्शा संकडा व छोटा बना लिया जिसके हाल नक्शे में पुराने नक्शे अनुसार दुरूस्ती साबिक नक्शे अनुसार किया जाकर नक्शे की त्रुटि को दुरूस्त कराये जाने के आदेश फरमाये जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण में मुख्य रूप ग्राम पंचायत हस्तेड़ा प्रभावित पक्षकार है और अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ग्राम पंचायत हस्तेड़ा को आवश्यक पक्षकार संयोजित नही किया गया जिससे अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष त्रुटिपूर्ण था जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त पर आबादी भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही विचाराधीन है तथा अपीलार्थी को प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी होने के उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत को बिना पक्षकार बनाये ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं तथ्यों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार चौमू द्वारा भूमि विवादग्रस्त बाबत पेश रिपोर्ट अनुसार भू–प्रबन्ध के हाल सर्वे में कार्मिकों द्वारा गत व हाल नक्शें का मिलान सही नही किया गया है जिसकी वजह से रकबे में अन्तर है तथा हाल नक्शा में तरमीम के अनुसार नक्शा दुरूस्त करने पर खसरा नम्बरान व खाते में रकबा कमी–बेसी नही होगा, ना ही ग्राम के कुल रकबें में कमी–बेसी होगी। केवल नक्शा ही लाल स्याही अनुसार दुरूस्त किया जाना है जिस कार्यवाही को तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तावित भी किया गया है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र ग्राम पंचायत को प्रकरण में पक्षकार संयोजित नही किये जाने पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है क्योंकि यदि अधीनस्थ न्यायालय को ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार जाहिर थी तो अधीनस्थ न्यायालय स्वयं भी सुमोटो ग्राम पंचायत को प्रकरण में पक्षकार बना सकता था या फिर ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाने हेतु अपीलार्थी को निर्देश भी प्रदान कर सकता था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2019 पारित किया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0 आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 11/12/2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।